

FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

किरम मुकदमा पत्थरगढ़ी वनाम नं. 176/22 रान् 202

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख की तारीख में जारी हुए
17.6.22	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री <u>हरीश शर्मा</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नकल जमावन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जाय पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा <u>मालकदारखेड़ी</u> पटवार मण्डल <u>भालोदे</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>430, 431, 442, 449, 51 किटा-5</u> रकबा <u>2.0992</u> हैक्टर/वीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रकॉर्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा बिन्दु नहीं है। तथा विपक्षीय आराजी के पड़ोसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जाये।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, वहस सुनी गई। प्रार्थी जैर वहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को <u>2009</u> - अक्षरे <u>दो</u> हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काशत में देखल दिये मौजा <u>मालकदारखेड़ी</u> पटवार मण्डल तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>430, 431, 442, 449, 51 किटा-5</u> रकबा <u>2.0992</u> है0/वीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुकामाद गौर पर की जावें।</p> <p>पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>20/2/22</u> तक न्यायालय राजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली कैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
डूंगला